न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

वाद संख्या :- [illegible]

श्री [illegible] पिता [illegible] जाति [illegible] निवासी बेगूं तहसील बेगूं

वादी

बनाम

1. [illegible] पिता [illegible] जाति [illegible] निवासी बेगूं तहसील बेगूं
2. किशनलाल पिता रामेश्वरलाल जीनगर निवासी बेगूं मृतक के विधिक उत्तराधिकारी
   - 2/1- श्रीमती [illegible] पत्नी स्व. किशनलाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   - 2/2- श्रीमती [illegible] पिता स्व. किशनलाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   - 2/3- श्री [illegible] पिता स्व. किशनलाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
3. सुरेश पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
4. श्यामलाल पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
5. कमलाबाई पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
6. पार्वतीबाई पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
7. शान्तीबाई पति रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
8. प्रेमबाई पति कन्हैयालाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
9. पार्वतीबाई पति खेमराज जाति जीनगर निवासी बेगूं मृतक एवं पार्वतीबाई पति खेमराज जी के पुत्र कन्हैयालाल जी जीनगर मृत के विधिक उत्तराधिकारी निम्न प्रकार है:-
   - 9/1- राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   - 9/2- सुरेश पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   - 9/3- मनोज पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   - 9/4- विनोद पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   - 9/5- लाडबाई पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं हाल मुकाम पति गोपाल लाल सोलंकी निवासी सुभाष नगर भीलवाडा
   - 9/6- इन्दुबाई पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं हाल मुकाम पति दिनेश चन्द्र जीनगर निवासी मोती चौहट्टा , आयुर्वेदिक हॉस्पीटल के पास (घण्टाघर के पास) सदर बाजार नसीराबाद जिला अजमेर
   - 9/7- मंजुबाई पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं हाल मुकाम पति रोशनलाल जीनगर निवासी डाबी तहसील बून्दी जिला कोटा
10. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं तहसील बेगूं
11. श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री गोपाल लाल गुरुजी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 21.08.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम बेगूं पटवार हल्का बेगूं तहसील बेगूं में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:-

(अ)

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
841	1877	0.3970
कीता-1		0.3970 हैक्टर

(ब)

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
839	1878	0.9550
कीता-1	0.9550 हैक्टर	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से लगायत नौ की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात है तथा उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति के आधार पर मौके पर अलग अलग बुवाई कर रहे हैं। वादपत्र की चरण संख्या एक के "अ" में अंकित आराजी जिसके खाता संख्या 841 है में अंकित आराजी संख्या 1877 में वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा निहित है इसी प्रकार वादपत्र की चरण संख्या एक के "ब" में अंकित आराजी जिसके खाता संख्या 839 है मे अंकित आराजी संख्या 1878 में वादी का 1/4 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 9/7 तक का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या नौ पार्वतीबाई पति खेमराज जी जाति जीनगर का देहान्त हो जाने के कारण उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 9/1 से लगायत 9/7 को वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनारया गया है। पार्वतीबाई के पति खेमराज जी का भी देहान्त हो गया है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का भूमि पर आपसी रजामंदी से मौके पर तो अलग अलग कब्जा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादपत्र में अंकित उक्त समस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व में चली आ रही है। इस कारण से प्रत्येक खातेदार को भूमि पर ऋण लेने में दिक्कत आती है भूमि का लगान अदा करने में भी एवं भूमि का अपनी इच्छानुसार विकास कराने में भी सहखातेदारान में हमेशा विवाद होता रहता है। इस कारण वादी ने सभी प्रतिवादी को दिनांक 20.12.2018 को तहसील चलकर भूमि का राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराने हेतु कहा इस पर प्रतिवादीण्गा ने अपनी सहमति नही दी तथा भूमि का विभाजन कराने में आना कानी की तथा भौतिक रूप से विभाजन किये जाने के लिए भी इन्कार किया है इस कारण वादी को अपने हिस्से का विभाजन कराने के लिए यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 20.12.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी सहमति से तहसील में चलकर राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अनुसर विभाजन करा वादी का हिस्स पृथक रूप से दर्ज कराये जाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित संयुक्त खातदारी की आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :-

(क) कि मौजा बेगूँ प0ह0 बेगूँ तहसील बेगूँ की उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 के "अ" में खाता संख्या 841 में अंकित आराजी संख्या 1877 रकबा 0.3970 हैक्टर पर ववादी का 1/4 हिस्स एवं वादपत्र की कलम संख्या एक के "ब" में खाता संख्या 839 में अंकित आराजी संख्या 1878 रकबा 0.9550 हैक्टर भूमि का मिट्स एण्ड बाउंड्स एवं कब्जे के आधार पर वादी का 1/4 हिस्से की भूमि का विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ख) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में भी पृथक पृथक से खाता दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

(ग)यह कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो धारा 209 के अन्तर्गत वो भी प्रदान कराया जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से वादपत्र का ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 7 तथा 7 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीण्गा का वर्षो से निरन्तर कब्जा होकर काश्त कर रहे है एवं जहा पर हम प्रतिवादीगण बैठे हुए है उक्त जमीन को हमने हकाई बुवाई करके व काफी खर्चा करके जमीन को आबाद किया एवं इसी अनुसार काबिल काश्त अच्छी बनाई इसलिए जहां हम प्रतिवादीगण मौके पर जैसे काश्त कर रहे है उसी अनुसार बंटवाडा फरमाया जावें। जमीन जैर बहस पर हमारे देवता सतीमाता व जुजार जी महाराज बिराजमान है जिनकी पूजा प्रतिष्ठा एवं आरा लेवी निरन्त वर्षो से करते आरहे है एव दिनांक 20.12.2018 की तारीख गलत है एवं वादी ने हम प्रतिवादीगण को बटवाडा बाबत कभी नहीं कहा झूठी कहानी है। वादपत्र बिगर बढे व कपोल कल्पीत बनाकर न्यायालय मे पेश किया है। जवाब के विशेष कथन में अंकिमत किया है कि प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...लाल पिता रामेश्वर जी जीनगर की मृत्यु 2009 में ही हो चुकी है इसलिए उनके विधिक
...को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए यह दावा चलने योग्य नहीं है।
कि हम प्रतिवादीगणसा मौके पर जिस प्राकर काश्त कर रहे है एवं काबिल काश्त बनाने में
काफी खर्चा हुआ है एवं मौके अनुसार जहां हम प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है बटवाडा फरमाया
जावे व हम प्रतिवादीगण जहा काश्त कर रहे है जहा हमारे सतीमाता पतर जुजार महाराज देवता के
स्थान सिमित होकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा वर्षो से करते आ रहे है इसलिए मौके पर काबिज अनुसार
बंटवाडा फरमाया जावें। शेष प्रतिवादीगण न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से
उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा किये जाने हेतु सहमति का जवाब दिये जाने से प्रकरण में तनकी पत्र कायम नही किया गयां। वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य शपथपत्र वादी जोधा पिता नारायण का पेश किया जिन्होने मुख्य परीक्षण में वादी द्वारा अपने दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी से जिरह करते हुए बयान वादी के कलमबद्ध कराये गये। पत्रावली में वादी के बयान पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की साक्ष्य को बन्द किया गया। इस प्रकार दावा पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस को वादपत्र अनुसार करते हुए दावा स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि आराजी का विभाजन करने हेतु निवेदन अपनी बहस में किया है। पत्रावली में बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया, खाता संख्या 841 में अंकित आराजी संख्या 1877 रकबा 0.3970 हैक्टर भूमि में श्री लादूलाल पिता लखमा जोधा पिता नारायण रेगर हिस्सा 1/2 अंकित किया हुआ है यानि वादी जोधा का हिस्सा इसमें 1/4 होता है। तथा शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण का दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा बेगूं के खाता संख्या 839 में दर्ज आराजी संख्या 1878 रकबा 0.9550 हैक्टर भू मि मे श्री लादूलाल पिता लखमा जोधा पिता नारायण रेगर हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज है इस प्रकार इस खाते में भी वादी जोधा का हिस्सा 1/4 होता है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में भी वादी का इसी हिस्से अनुसार विभाजन हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी अपने हिस्से अनुसार विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बेगूं पटवार हल्का बेगूं में दर्ज खाता संख्या 841 की आराजी संख्या 1877 रकबा 0.3970 हैक्टर भूमि में वादी जोधा पिता नारायण रेगर का हिस्सा 1/4 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी के अनुसार तथा मौजा बेगूं पटवार हल्का बेगूं के खाता संख्या 839 में दर्ज आराजी संख्या 1878 रकबा 0.9550 हैक्टर भूमि में वादी जोधा पिता नारायण रेगर का हिस्सा 1/4 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए कृषि आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार एवं वादी तथा प्रतिवादीगण के कब्जे अनुसार आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जावें।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व(कोट)/2025/689 दिनांक 11.08.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द [illegible] रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बेगूं पटवार हल्का बेगूं की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है–

वादी

1– श्री जोधा पिता नारायण रेगर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1877 मेसे	0.0780	बीड	0.19
1877 मेसे	0.0213	बीड	0.05
1878 मेसे	0.2387	जाव1	4.44
कीता– 03	0.3380 हैक्टर		4.68

2– श्री लादुलाल पिता लखमा रेगर हिस्सा 1/3, पार्वतीबाई पति खेमराज, प्रेमबाई पति कन्हैयालाल जीनगर हिस्सा 2/3 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म		लगान
1878 मेसे	0.7163	जाव1	0.2713	5.05
		चाही1	0.4450	15.10
कीता– 01	0.7163 हैक्टर			20.15

3– श्री लादुलाल पिता लखमा रेगर हिस्सा 1/3, भैरूलाल, सुरेशकुमार, श्यामलाल, कमला, पार्वतीबाई पिता रामेश्वरलाल, बालीबाई पति रामेश्वरलाल जीनगर हिस्सा 2/3 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1877 मेसे	0.1000	बीड	0.24
1877 मेसे	0.1977	बीड	0.47
कीता– 02	0.2977 हैक्टर		0.61

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

प्रारूप में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

वाद संख्या – 61/2018

श्री जोधा पिता भागचन्द जाति बैरवा निवासी बेगूं तहसील बेगूं
वादी

बनाम

1. लालु पिता लखमा जाति बैरवा निवासी बेगूं तहसील बेगूं
2. भैरूलाल पिता रामेश्वरलाल जीनगर निवासी बेगूं मृतक के विधिक उत्तराधिकारी
   2/1– श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. भैरूलाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   2/2– श्रीमती मीनाक्षी पिता स्व. भैरूलाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   2/3– श्री मांगीलाल पिता स्व. भैरूलाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
3. सुरेश पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं
4. श्यामलाल पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
5. कमलाबाई पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
6. पार्वतीबाई पिता रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
7. बालीबाई पति रामेश्वरलाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
8. प्रेमबाई पति कन्हैयालाल जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं
9. पार्वतीबाई पति खेमराज जाति जीनगर निवासी बेगूं तहसील बेगूं मृतक एवं पार्वतीबाई पति खेमराज जी के पुत्र कन्हैयालाल जी जीनगर मृत के विधिक उत्तराधिकारी निम्न प्रकार है:–
   9/1– राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   9/2– सुरेश पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   9/3– मनोज पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   9/4– विनोद पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं
   9/5– लाडबाई पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं हाल मुकाम पति गोपाल लाल सोलंकी निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा
   9/6– इन्दुबाई पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं हाल मुकाम पति दिनेश चन्द्र जीनगर निवासी मोती चौहट्टा, आयुर्वेदिक हॉस्पीटल के पास (घण्टाघर के पास) सदर बाजार नसीराबाद जिला अजमेर
   9/7– मंजुबाई पिता कन्हैयालाल जी जाति जीनगर निवासी बेगूं हाल मुकाम पति रोशनलाल जीनगर निवासी डाबी तहसील बून्दी जिला कोटा
10. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं तहसील बेगूं
11. श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

<u>निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री गोपाल लाल गुरूजी की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.03.2025को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। तथा प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बेगूं पटवार हल्का बेगूं की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

जोधा पिता नारायण रेगर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1877 मेसे	0.0780	बीड	0.19
1877 मेसे	0.0213	बीड	0.05
1878 मेसे	0.2387	जाव1	4.44
कीता— 03	0.3380 हैक्टर		4.68

2— श्री लादुलाल पिता लखमा रेगर हिस्सा 1/3, पार्वतीबाई पति खेगराज, प्रेमबाई पति कन्हैयालाल जीनगर हिस्सा 2/3 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म		लगान
1878 मेसे	0.7163	जाव1	0.2713	5.05
		चाही1	0.4450	15.10
कीता— 01	0.7163 हैक्टर			20.15

3— श्री लादुलाल पिता लखमा रेगर हिस्सा 1/3, भैरूलाल, सुरेशकुमार, श्यामलाल, कमला, पार्वतीबाई पिता रामेश्वरलाल, बालीबाई पति रामेश्वरलाल जीनगर हिस्सा 2/3 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1877 मेसे	0.1000	बीड	0.24
1877 मेसे	0.1977	बीड	0.47
कीता— 02	0.2977 हैक्टर		0.61

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकिता सामरिया)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता22025 / दिनांक :—

दावा संख्या 28.2019 व अनवान जोधा बनाम लादूलाल वगै. वगै दावा 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ